

न्यायालय : तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैतूल, मध्यप्रदेश
(समक्ष : अमन मलिक)

RCS-A- 166/17
 संस्थित दि. - 05.08.2017

रनिया बाई पति रमजू इरपांचे
 उम्र-55 वर्ष, निवासी-बगडोना बस्ती
 तह. घोडाडोंगरी, जिला-बैतूल (म.प्र.)

— **आवेदिका**

विरुद्ध

- 1) **बंसता बाई पिता ओझा टेकाम**
 उम्र-48 वर्ष, जाति-गोंड
- 2) **रामचरण पिता ओझा टेकाम**
 उम्र-36 वर्ष, जाति-गोंड
- 3) **शिवचरण पिता ओझा टेकाम**
 उम्र-33 वर्ष, जाति-गोंड
 उक्त समस्त निवासी-बगडोना बस्ती
 तह.घोडाडोंगरी, जिला-बैतूल

— **अनावेदकगण**

वादी द्वारा :	श्री शिव पाटिल अधिवक्ता।
प्रतिवादी क. 1 से 3 द्वारा :	श्री कमल नागले अधिवक्ता।

॥ आदेश ॥

(आज दिनांक : 19.03.2018 को पारित किया गया)

1} इस आदेश द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश-39, नियम-1 व 2 सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता आई.ए.नं.01 का निराकरण किया जा रहा है।

2} वादी/आवेदिका का उक्त आवेदन संक्षेप में यह है कि आवेदिका रनिया बाई द्वारा ग्राम बगडोना प.ह.नं. 44 ख.नं. 217 में से रकबा 0.020 हे. भूमि विक्रेता मंगलसिंह वल्द बज्जी गोंड निवासी बगडोना, तह.घोडाडोंगरी जिला बैतूल से दिनांक 29.04.1993 को रजिस्ट्री के माध्यम से क्रय की थी तथा

आवेदिका द्वारा कय की गई उक्त भूमि पर रजिस्ट्री के आधार पर राजस्व अभिलेख में आवेदिका रनियाबाई का नाम दर्ज किया गया, जिसका बटाकन होकर ग्राम बगडोना स्थित भूमि के ख.नं. 217/2 रकबा 0.020 हे. भूमि पर आवेदिका के नाम से दर्ज की गई। उक्त भूमि के विक्रेता मंगलसिंह द्वारा क्रेता आवेदिका रनिया बाई को विक्रय पत्र के अनुसार मौके पर उत्तर में-अशोक की भूमि, दक्षिण में-शेष भूमि, पूर्व में रास्ता, पश्चिम में-शेष भूमि, जिसके उत्तर-दक्षिण 48 फुट तथा पूर्व-पश्चिम 45 भूमि नाप कर दी गई तथा विक्रय को ही विक्रेता मंगल द्वारा वादिनी को मौके पर कब्जा दिया गया जिस पर क्रेता आवेदिका रनिया बाई वर्तमान में काबिज है जिसका नजरिया नक्शा वाद पत्र में प्रस्तुत है।

3} आवेदिका का यह भी आवेदन है कि आवेदिका द्वारा कय किये गये भूखंड पर अशोक की तरफ से 30 X 40 = 1200 में मकान निर्माण किया गया है, जिसमें प्रत्येक प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। अनावेदकगण द्वारा अपनी भूमि का सीमाकन कराया गया, जिसमें सीमाकन के लिये तहसीलदार घोडाडोंगरी के आदेश पर राजस्व निरीक्षण घोडाडोंगरी के आदेश पर राजस्व निरीक्षण घोडाडोंगरी द्वारा मौके पर सीमाकन किया गया। सीमाकन के समय हल्का पटवारी, ग्राम कोटवार उपस्थित हुये साथ ही पटवारी चालू नक्शा शीट लेकर उपस्थित हुये, जिसमें ग्राम के व्यक्ति सुखलाल, मनीराम, रामचरण, मनोज भोपत, विनोद की उपस्थिति में सीमाकन किया गया, सीमाकन के अनुसार मौके की स्थिति अनुसार आवेदिका अपनी भूमि पर काबिज है। वह अपने काबिज भूमि पर ही निर्माण कार्य करना चाहती है। उक्त आधारों पर प्रार्थना की गयी है कि आवेदिका के पक्ष में एवं अनावेदकगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित किया जावे कि प्रकरण के निराकरण तक अनावेदकगण स्वयं या अन्य किसी के माध्यम से आवेदिका की भूमि वाद पत्र के नजरिये नक्शे के अनुसार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे।

4} अनावेदकगण ने उक्त आवेदन के तथ्यों से इंकार करते हुये जवाब में बताया है कि आवेदिका रनियाबाई द्वारा ग्राम प.ह.नं. 44 खसरा नं. 217 में से रकबा 0.020 हे. भूमि विक्रेता मंगलसिंह से दिनांक 29.04.1993 को रजिस्ट्री के माध्यम से कय की थी। मंगलसिंह, चुब्बी, ओझा के मध्य आपसी बंटवारा होकर उक्त भूमि पर काबिज है। मंगलसिंह द्वारा अपने को भूमि विक्रय की है। आवेदिका रनियाबाई द्वारा 1993 में विक्रय पत्र के आधार पर कब्जा उक्त भूमि में मकान निर्माण कर लिया है एवं आवेदिका द्वारा मंगलसिंह से कयशुदा भूमि से मकान

निर्माण कर निर्माणधिन मकान में निवासरत है। आवेदिका विक्रेता मंगलसिंह के भाई ओझा को भाई बटवारे में प्राप्त भूमि पर वर्तमान में अवैध अतिक्रमण कर मकान निर्माण कर रही है। आवेदिका का वाद प्रथम दृष्टया सुदृढ़ नहीं है और ना ही सुविधा का संतुलन आवेदिका के पक्ष में। उक्त आधारों पर प्रार्थना की गयी है कि आवेदिका का उक्त आवेदन सव्यय निरस्त किया जावे।

5} अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन का निराकरण करने हेतु न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु की विरचना की जा रही है :-

- 1) क्या प्रथम दृष्टया प्रकरण आवेदिका के पक्ष में है ?
- 2) क्या अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत आवेदिका के पक्ष में है?
- 3) क्या सुविधा का संतुलन आवेदिका के पक्ष में है?

—: सकारण निष्कर्ष :-

6} उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है ताकि तथ्यों की पुनरावृत्ति न हो। अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला ऐसा स्थापित होना चाहिए जिसमें जांच के लिए एक विचारणीय प्रश्न निहित हो जो साक्ष्य लेकर ही तय हो सकता है और उसमें आवेदक के विजयी होने की प्रबल संभावना हो।

7} आवेदिका द्वारा यह प्रकट किया गया है कि सीमांकन के अनुसार वह अपनी भूमि पर काबिज है और उक्त भूमि पर ही निर्माण कार्य करना चाहते हैं। आवेदिका द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से वांछा की गयी है कि अनावेदकगण, आवेदिका की भूमि पर उन्हें निर्माण कार्य करने से ना रोके ताकि वह अपना निर्माण कार्य कर सके। आवेदिका द्वारा यह प्रकट नहीं किया गया है कि अनावेदकगण द्वारा उनके निर्माण कार्य किये जाने से कौन से दिन को रोका गया था तथा उनके द्वारा ऐसे भी प्रथम दृष्टया तथ्य प्रकट नहीं किया गया है कि जिससे दर्शित हो सके कि अनावेदकगण उनके निर्माण कार्य करने को रोक रहे हैं। आवेदिका द्वारा मात्र संभावनाओं के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया जाना दर्शित है एवं विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मात्र संभावनाओं के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है।

8} उपरोक्त परिस्थितियों एवं अभिलेख पर विद्यमान दस्तावेजों से प्रथम दृष्ट्या प्रकरण आवेदिका के पक्ष में दर्शित नहीं होता है। अतः आवेदिका के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या वाद नहीं माना जा सकता।

9} चूंकि प्रथम दृष्ट्या मामला आवेदिका के पक्ष में नहीं है, ऐसी स्थिति में सुविधा के संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति आवेदक को अनावेदकगण की अपेक्षा अधिक होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

10} उपरोक्त परिस्थितियों में जबकि आवेदिका के पक्ष में न तो प्रथम दृष्ट्या वाद है, ना ही निषेधाज्ञा देने से उसे अपूर्णीय क्षति होगी तथा सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में नहीं है, इस प्रकरण में उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। अतः आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. (अस्थाई निषेधाज्ञा) (आई.ए.नं.-1) निरस्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में घोषित किया
जाकर दिनांकित व हस्ताक्षरित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

सही /—
(अमन मलिक)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
बैतूल, मध्यप्रदेश

सही /—
(अमन मलिक)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
बैतूल, मध्यप्रदेश